(SHRI K. V. THANGKA BALU: Under the twenty-point programme, against the target of 90,000 families under the poverty alleviation programme; during 1992-93, the coverage was 99,760 families. During 1993-94 the target was 96,000 families. We have achieved, till October, 62,780 families. This is the highest achievement we have made. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: How can you clap? ...(Interruptions)...

SHRI MENTAY PADMANABHAM: All these figures are cooked up. They are supplied by the corrupt officers at the ground level.

SHRI K. V. THANGKA BALU: You have no done anything. We have done a good thing. That's why you are afraid.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

---

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

**Conversion of automatic operation system into manual system at Rourkela Steel Plant**

*221. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the second captive power plant of Rourkela Steel Plant, the total Automatic Operation System has been converted into a manual system; and

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSHI MOHAN DEV): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**राष्ट्रीय महिला कोष का संचालन-मंडल**

*225. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष के प्रथम संचालन-मंडल का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कोष के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इस कोष को सरकार ने कितनी वार्षिक धनराशि आवंटित की है ;

(ग) इस कोष का कार्यकाल कितना है और क्या इस कोष के संचालन-मंडल के सदस्यों का चुनाव हर साल होगा; और

(घ) संचालन-मंडल में वर्तमान वर्ष के लिए नियुक्त सदस्यों के नाम क्या हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष के प्रथम शासी बोर्ड का गठन कर दिया है।

(ख) कोष के उद्देश्य विवरण-1 के रूप में संलग्न हैं। सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में कोष के लिए 31 करोड़ रु० की कोरपस धनराशि संस्वीकृत और वितरित की है। चालू वर्ष के दौरान, कोष का लक्ष्य 8 करोड़ रु० ऋण के रूप में देना है।

(ग) और (घ) यह कोष एक स्थायी निकाय है, जो कि सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है। कोष का प्रबंधन 15 सदस्यों वाले एक शासी बोर्ड द्वारा किया जायेगा। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कोष की पदेन अध्यक्षा हैं जबकि केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के पांच अन्य वरिष्ठ अधिकारी उसके पदेन सदस्य हैं। शासी बोर्ड के सात गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः

तीन वर्ष होगा तथा राज्य सरकारों के दो प्रतिनिधियों का कार्यकाल एक वर्ष होगा और इसमें बारी-बारी से सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा। वर्तमान शासी बोर्ड का ब्यौरा विवरण-[2] के रूप में संलग्न है।

**विवरण – 1**

**राष्ट्रीय महिला कोष के मुख्य उद्देश्य**

1. महिलाओं के विकास के लिए वित्तीय और सामाजिक विकास सेवाओं के एक पैकेज की व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और विकास के साधन के रूप में ऋण उपलब्ध कराना अथवा इसके संवर्धन के लिए कार्य करना अथवा इन्हें बढ़ावा देना ;

2. निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए योजनाओं का संवर्धन और उनमें सहायता देना ;

क. उनके मौजूदा रोजगार को बनाए रखना।

ख. और अधिक नियोजन अवसर उत्पन्न करना,

ग. परिसम्पत्ति सृजन

घ. परिसम्पत्ति की पुनः प्राप्ति, तथा

ङ. खपत संबंधी, सामाजिक और आकस्मिक जरूरतों को पूरा करना ;

3. आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ऋण संसाधनों की कारगर उपयोगिता के लिए महिला समूहों के आयोजन में सहभागिता के दृष्टिकोण का प्रदर्शन और व्यवहार;

4. ऋण और अन्य सामाजिक सेवाएं निर्धन महिलाओं को उपलब्ध कराने के लिए नवीन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए स्वैच्छिक और औपचारिक क्षेत्र में प्रयोगों को बढ़ावा देना और उनमें सहायता देना ;

5. मौजूदा सरकारी वितरण तंत्र को जागरूक बनाना तथा पारम्परिक वित्तीय संस्थाओं में महत्वपूर्ण और संभाव्य ग्राहकों के रूप में निर्धन महिलाओं की पहुंच में वृद्धि करना ;

6. ऋण और इसके प्रबंधन के अनुसंधान, अध्ययन, प्रलेखन और विश्लेषण को बढ़ावा देना;

7. कोष के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के कार्य में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों, ऋण संस्थाओं, औद्योगिक और वाणिज्यिक संगठनों तथा गैर सरकारी, स्वयंसेवी तथा अन्य संगठनों और निकायों के साथ सहयोग करना और उनका सहयोग प्राप्त करना; और

8. कोष के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप शर्तों पर चन्दा, अनुदान, अंशदान, दान, ऋण, गारंटी, उपहार, उत्तरदान इत्यादि प्राप्त करना।

**विवरण– 2**

**राष्ट्रीय महिला कोष के पहले शासी बोर्ड के सदस्यों की सूची**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार में राज्य मंत्री | अध्यक्ष (पदेन) |
| 2. | सचिव, महिला एवं बाल विकास-विभाग, भारत सरकार | सदस्य (पदेन) |
| 3. | सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार | –तदेव– |
| 4. | सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार | –तदेव– |
| 5. | सचिव, योजना आयोग, भारत सरकार | तदेव |
| 6. | अपर सचिव, बैंकिंग प्रभाग आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार | तदेव |

7. सचिव, समाज कल्याण विभाग गुजरात सरकार, गांधी नगर — तदेव

8. सचिव, समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार, पटना — तदेव

9. सुश्री इला भट्ट, महासचिव, सेवा स्वागत केन्द्र, लोकमान्य तिलक बाग के सामने, भद्रा अहमदाबाद–380001 — सदस्य

10. सुश्री जया अरुणाचलम, अध्यक्ष वर्किंग वीमेन्ज फोरम, 55 भीमसेन गार्डन रोड, भायलापुर, मद्रास–600004 — सदस्य

11. सुश्री प्रेमा पुराव, महा-सचिव अन्नापूर्णा महिला मण्डली, नयनित-अपार्टमेंटस, 123, राम मारूति रोड, दादर मुम्बई,–400028 — तदेव

12. श्रीमती रानी सतीश, कर्नाटक विधान परिषद्, 3412, 10वां मेन 11 क्रास, 11 स्टेज, इंदिरा नगर, बंगलौर–560038 — सदस्य

13. सुश्री सरला साहनी अवैतनिक सचिव, उ. प्र. शिल्प परिषद् 6 फानत्रेक ऐवेन्यू, लखनऊ–226001 — तदेव

14. सुश्री अरुणा राय, ग्राम देव डूंगरी, डाकखाना बराड़ बाया भीम, जिला राज-सामंड, राजस्थान –313341 — तदेव

15. श्रीमती मंजु राय, आजाद चौक, सिहोरा रोड, जिला जबलपुर–483225 — तदेव

**Suggestions regarding National Agriculture Policy**

*227. SHRI DIGVIJAY SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Chairman of the National Dairy Development Board has made certain suggestions regarding National Agriculture Policy; and

(b) if so, what are the details thereof stating the reaction of Government with regard thereto?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) and (b) The Chairman, National Dairy Development Board had submitted a detailed note with suggestions on policy as well as programme. His note touches upon points relating to primary to farmers, land, water and inputs for higher productivity; and supporting infrastructure for plant protection, research credit, cooperatives etc. Policy aspects are reflected in the modified Draft Agriculture Policy Resolution placed on the Table of the House on 14th May, 1993.

**Expansion programme of Hindustan Copper Limited**

*228. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether the Hindustan Copper Limited has taken up expansion programme and approached for foreign investment; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) and (b) The major project conceived by Hindustan Copper Limited for expanding its activities is expansion of the capacity of the Smelter at Khetri (Rajasthan) to produce 100,000 tonnes of copper metal per annum from the existing capacity of 31,000 tonnes of copper metal per annum with imported copper concentrates at an estimated cost of Rs. 270 crores. Since budgetary support to the Central Public Sector Undertakings has been restricted, the Company would need financial assistance from Indian/foreign financial institutions/parties to finance the proposed expansion. However, no concrete packages have been received so far.